म.प्र.पुलिस हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड
(म.प्र.शासन का उपक्रम)
(पूर्व नाम म.प्र.पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमि.)
भदभदा रोड, भोपाल–462003

# MADHYA PRADESH POLICE HOUSING AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

## चौतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2014–15

# म.प्र.पुलिस हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड
## (म.प्र.शासन का उपक्रम)
## (पूर्व नाम म.प्र.पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमि.)

## चौतीसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2014–15
## विषय–सूची


| | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|
| 1. अंकेक्षक एवं बैंकर्स, संचालक मण्डल | 3–5 |
| 2. वित्तीय ग्राफ | 6–8 |
| 3. संचालक मण्डल का प्रतिवेदन | 9–26 |
| 4. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी | 27–28 |
| 5. बैलेन्स शीट | 29–30 |
| 6. लाभ–हानि खाता | 31–32 |
| 7. बैलेन्स शीट एवं लाभ–हानि खाला से संलग्न अनुसूचियॉ | 33–46 |
| 8. केशफ्लो स्टेटमेंट | –47– |
| 9. विशिष्ट लेखानीति एवं लेखों के टीप अंश | 48–56 |
| 10. वैधानिक अंकेक्षकों का प्रतिवेदन | 57–64 |
| 11. वैधानिक अंकेक्षकों के प्रतिवेदन पर प्रबंधन का उत्तर | –65– |
| 12. चौतीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना | 66–71 |
| 13. कार्पोरेशन द्वारा बनाये गये कुछ भवनों का बाह्य स्वरूप एवं ग्राफ | –72– |

# अंकेक्षक एवं बैंकर्स

| | | |
|---|---|---|
| वैधानिक अंकेक्षक | : | मेसर्स शिवनंदन अग्रवाल एण्ड कम्पनी,<br>चार्टर्ड एकाउन्टेंटस,<br>दुल्हन साहिबा का महल,<br>भोपाल |
| आंतरिक अंकेक्षक | : | मेसर्स जयन्त कोठारी एण्ड कम्पनी,<br>चार्टर्ड एकाउन्टेंट,<br>129, मालवीय नगर, भोपाल–462003 |
| कंपनी सचिव | | एएसए एण्ड एसोसिएट्स एम.पी.नगर भोपाल |
| बैंकर्स | : | 1. इलाहाबाद बैंक<br>2. भारतीय स्टेट बैंक |
| पंजीकृत कार्यालय | : | भदभदा रोड, भोपाल–462003 |

## विचाराधीन वर्ष में संचालक मण्डल में परिवर्तन
## संचालक मण्डल के सदस्यों की सूची – 01.04.2014 से 31.03.2015

| सं, क्रं. | अधिकारी का नाम | पदनाम | नियुक्ति दिनांक | नियुक्ति समाप्ति दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री शिवशंकर लाल | अध्यक्ष | 07.09.12 | 31.01.2015 |
| 2 | श्री संजय राणा | कार्यवाहक अध्यक्ष | 01.02.2015 | 15.05.2015 |
| 3 | श्री ऋषि कुमार शुक्ला, भापुसे | अध्यक्ष | 15.05.2015 | निरंतर |
| 4 | श्री संजय राणा, भापुसे | प्रबंध संचालक | 22.10.2011 | निरंतर |
| 5 | श्री पी. के. जैन, भापुसे | अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक(योजना) पुलिस मुख्यालय, भोपाल | 06.09.2012 | निरंतर |
| 6 | श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे | सचिव, म. प्र. शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल | 30.10.2012 | निरंतर |
| 7 | श्री अखिलेश अग्रवाल | प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल | 17.08.2011 | निरंतर |
| 8 | श्री नितेश व्यास, | अध्यक्ष, सह प्रबंध संचालक म. प्र. मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, भोपाल | 17.08.2011 | 07.08.2014 |
| 9 | श्री विवेक कुमार पोरवाल | अध्यक्ष, सह प्रबंध संचालक म. प्र. मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, भोपाल | 26.08.2014 | निरंतर |
| 10 | श्री आशीष सक्सेना | उप सचिव, म. प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय–भोपाल | 17.08.2011 | निरंतर |
| 11 | श्री धनंजय सिंह भदौरिया | आयुक्त, म. प्र. हाउसिंग बोर्ड भोपाल | 22.02.2014 | 07.08.2014 |
| 12 | श्री नितेश व्यास | आयुक्त, म. प्र. हाउसिंग बोर्ड, भोपाल | 07.08.2014 | निरंतर |
| 13 | श्री हरवंस सिंह गिल | क्षेत्रीय प्रमुख, हुडको, भोपाल | 30.09.2012 | 28.06.2014 |

# MADHYA PRADESH POLICE
# HOUSING AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

Turnover and net profit of last Ten year

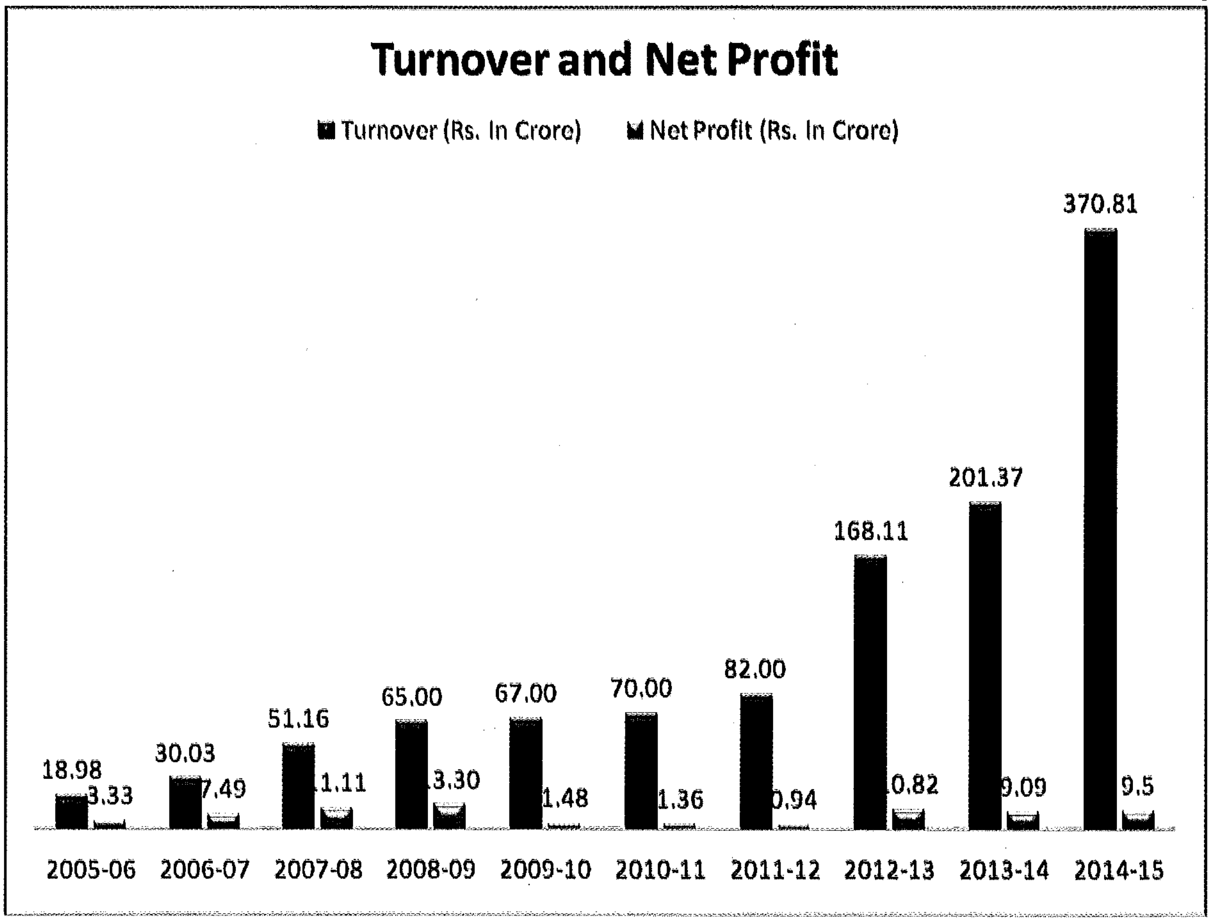

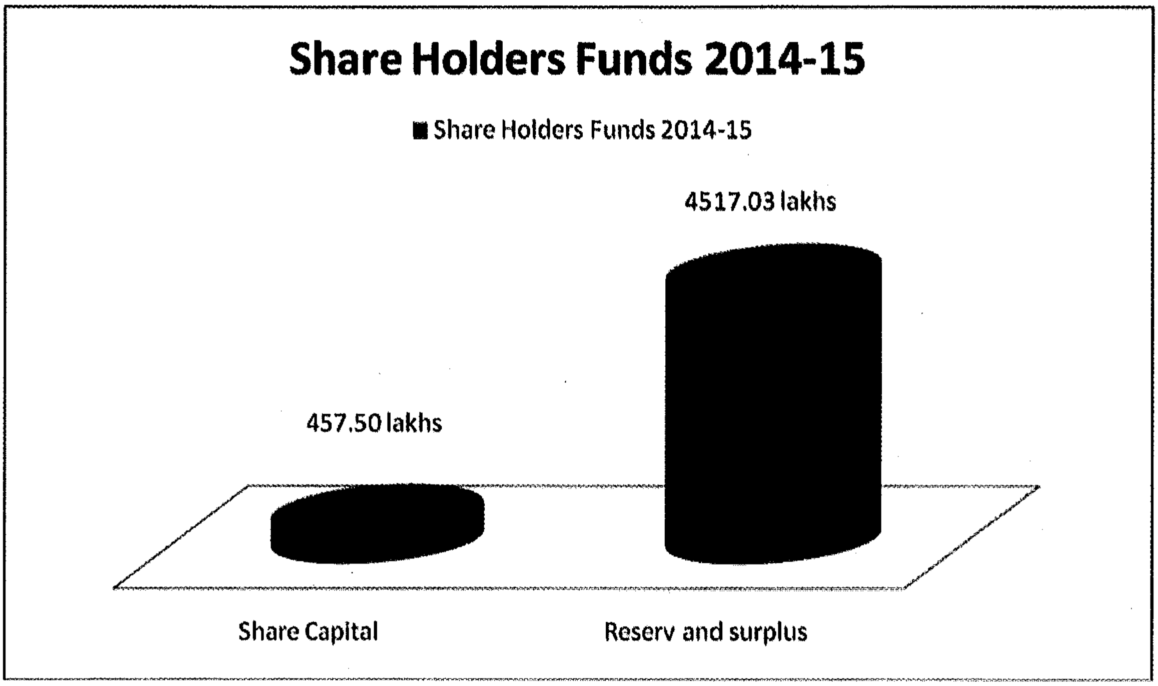
Share Holders Funds 2014-15
Share Holders Funds 2014-15
4517.03 lakhs
457.50 lakhs
Share Capital
Reserv and surplus

# म.प्र.पुलिस हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड
## (म.प्र.शासन का उपक्रम)
## (पूर्व नाम म.प्र.पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमि.)

### 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष का निगम के अंशधारियों के लिये
### संचालक मण्डल का प्रतिवेदन

प्रति,

अंशधारीगण,
मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्चरल डेवलेपमेन्ट
कार्पोरेशन लिमिटेड भदभदा रोड़ भोपाल

कम्पनी के संचालकों का 34वां वार्षिक प्रतिवेदन जो कम्पनी के 31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष से संबंधित है, को अंकेक्षकों के प्रतिवेदन एवं 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय लेखे, तुलन पत्र, लाभ–हानि पत्रक तथा नगद प्रवाह पत्रक के साथ प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है ।

<u>वित्तीय विशिष्टताए</u> –

| विवरण | 31 मार्च 2015 रू. | 31 मार्च 2014 रू. |
|---|---|---|
| वर्ष के दौरान किये कार्यो में प्राप्त आय | 27,11,79,095.97 | 16,57,26,974.38 |
| अन्य आय | 1,35,12,026.00 | 1,05,85,273.71 |
| **कुल आय** | **28,46,91,121.97** | **17,63,12,248.09** |
| मूल्य ह्रास और कर पूर्व लाभ | 14,70,69,961.48 | 9,32,52,456.16 |
| मूल्य ह्रास | 31,32,491.08 | 22,97,047.23 |
| **कर पूर्व लाभ (हानि)** | **14,39,37,470.40** | **9,09,55,408.93** |
| वर्तमान कर/ कर के लिये प्रावधान | 4,84,95,612.23 | 3,00,15,284.95 |
| अस्थगित कर | 3,89,757.00 | 4,46,842.36 |
| **कर उपरान्त लाभ (हानि)** | **9,50,52,100.17** | **6,04,93,281.62** |
| आय प्रति शेयर (रूपये) मूल | 2077.64 | 1322.26 |
| डाइलूटड | 2077.64 | 1322.26 |

**संबंधित पार्टी लेन–देन –**

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी अनुबंध में/व्यवस्था में/लेन–देन, उससे संबंधित पर्टियों से किसी भी प्रकार का लेन–देन नहीं हुआ है । **(परिशिष्ट–II)**

**संचालक मण्डल की बैठके –**

वित्तीय 2014–15 के दौरान संचालक मण्डल की निम्नलिखित बैठके आयोजित की गयी ।

| क्रं. | बैठक की तिथि | सीमित सदस्यों की संख्या | मौजूद सदस्यों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.09.2014 | 12 | 09 |
| 2 | 31.03.2015 | 11 | 04 |

**संचालक गण –**

(ए) निदेशकों में परिवर्तन और प्रमुख प्रबंधकीय सेवा के अधिकारी

1. निदेशक के रूप में श्री सुब्रामनियन वैल्कुल थिरूमलीयप्पन (डिन : 02386222) को कम्पनी के संचालक पद पर दिनांक 16.05.2014 से नियुक्त किया गया है ।
2. श्री हरवंश सिंह गिल का नाम (डिन : 06396544) कम्पनी के नामित निदेशक से दिनांक 16.05.2014 को समाप्त कर दिया गया है ।
3. श्री नीतेश कुमार व्यास का नाम (डिन : 0230055) कम्पनी के नामित निदेशक पद पर से दिनांक 07.08.2014 को समाप्त कर दिया गया है ।
4. श्री नीतेश कुमार व्यास को (डिन : 0230055) को दिनांक 07.08.2014 से निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है ।
5. श्री धनंजय सिंह भदौरिया का नाम कम्पनी के नामित निदेशक से दिनांक 07.08.2014 को समाप्त कर दिया गया है ।
6. श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को (डिन : 06438534) दिनांक 16.08.2014 से कम्पनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ।
7. श्री विवेक पोरवाल को (डिन : 06572001) दिनांक 26.08.2014 से कम्पनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ।

(बी) स्वतंत्र संचालकों द्वारा घोषणा : लागू नहीं ।

(सी) औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन : लागू नहीं ।

फैलाने से रोकती है । जोखिम प्रबंधन के लिए एक औपचारिक उद्यम व्यापक दृष्टिकोण कंपनी द्वारा अपनाया जा रहा है और अब एक एकात्मक ढांचे के भीतर होगा । एक औपचारिक रोल–आउट के रूप में, सभी बिजनेस डिवीजनों और कॉरपोरेट फंक्शंस जोखिम प्रबंधन नीति और दिशा निर्देशों उनके निर्णय लेने में इनका उपयोग करेंगे । प्रमुख व्यवसायिक जोखिम तथा उनके शासन के लिए वार्षिक / कूटनीतिज्ञ योजनाओं के जरिये आवधिक प्रबंध समीक्षा में विचार किया जाना हैं । जोखिम प्रबंध हमारी बहु व्यवसायों में अनेक स्थानों जारी कार्यो के समयावधि से कम्पनी की कार्य प्रणाली में प्रक्रिया दौरान खत्म हो जायेगा तथा हमारी जवाबदारी वर्तमान गतिविधियों के जोखिम के लिए रह जायेगी ।

**कर्मचारियों के विवरण –**

**वर्ष के दौरान कोई कर्मचारी नहीं था जो**

(1) अगर पूरे वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों को उस वर्ष के लिए पारिश्रमिक प्राप्त हो रहा था, जो कुल मिलाकर, साठ लाख रूपये से कम नहीं था ।

(2) यदि वित्तीय वर्ष के लिए नियोजित किया गया था, उस वर्ष के किसी भी हिस्से के लिए पारिश्रमिक की प्राप्ति में था, एक दर से, जो कुंल में, प्रति माह पांच लाख रूपये से कम नहीं था ।

(3) यदि पूर्व वित्तीय वर्ष अथवा वित्तीय वर्ष के लिये नियोजित किया गया था, उस वर्ष के किसी भी हिस्से के लिये अथवा पूर्व वित्तीय वर्ष के लिये पारिश्रमिक में था, उसकी कुल आय अथवा किसी भी प्रकार से, किसी भी दर से, प्रबंध संचालक द्वारा प्राप्त आय से अधिक है अथवा पूर्ण रूप से अनुबंधित संचालक अथवा प्रबंधक तथा स्वयं अथवा अपनी पत्नी एवं आश्रित बच्चे के साथ कम्पनी की हिस्सेदारी जो 2% से कम न हो ।

**सामान्य विवरण /खुलासा/ जारी करना –**

आपके संचालक सूचित करते है कि न कोई खुलास अथवा न कोई रिपोर्ट निम्न मदों का वर्ष के दौरान किये गये कार्यो के लिये किया जाना है ।

1. अधिनियम के मांग 5 के अंतर्गत डिपाजिट के संबंध में विवरण ।
2. बोनस शेयर तथा/अथवा राईट शेयर का जारी किया जाना ।
3. इक्विटी शेयरों का जारी किया जाना लाभांश के, वोटिंग के अथवा अन्य किसी प्रकार के अधिकार को अलग से दर्शाये हेतु ।
4. कम्पनी के कर्मचारियों किसी भी योजना के तहत, शेयर्स को जारी करना, स्वेट इक्विटी शेयर सहित ।
5. बाई बेक आफ शेयर्स ।
6. कोई महत्वपूर्ण आदेश यदि किसी विनियामक एथारिटी ने अथवा न्यायालय अथवा ट्रियबूनल जिससे कम्पनी के गोइंग कर्न्सन स्टेटस अथवा कम्पनी के भविष्य की योजना पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो ।

है एवं अनुमति देता है कि कम्पनी प्रदेश के पुलिस विभाग के कर्मचारियों उनके आश्रितों तथा अन्य के लिये शिक्षण संस्थान स्थापति करने, उसकी देख रेख हेतु स्कूल, कालेज एवं छात्रावास के साथ–साथ छात्रवृत्ति, पुरस्कार इत्यादि के संबंध में व्यवस्था कर सकता है । अतः कम्पनी के संचालकों द्वारा इन प्रावधानों के अंतर्गत भोपाल में एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छात्रावास की सुविधा सहित सी.बी.एस.ई पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्थापित करने के एक प्रस्ताव का मूल्यांकन पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश की साझेदारी में किया गया है । जो कि पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों के आश्रितों को एक लम्बे समय तक उच्च गुणवता की शिक्षा प्रदान करने में सहयोग करेगा ।

**आभार –**

कार्पोरेशन के कार्यकलापों को उपरोक्तानुसार सफलता पूर्वक क्रियान्वियन करने के लिये संचालकगण, भारत सरकार, मध्यप्रदेश शासन विशेषकर गृह विभाग, वित्त विभाग पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, हुडको, बैक एवं हमारे सभी ग्राहक, वेन्डर्स, स्टाक होल्डर्स इत्यादि के प्रति कृतज्ञ है ।

स्थान : भोपाल

दिनांक : 21.02.2017

संचालक मण्डल की ओर से

Sarbjeet Singh

(सरबजीत सिंह)

अध्यक्ष

**IV शेयर होल्डींग पेटर्न (इक्वीटी अंशपूंजी का प्रतिशत कुल इक्वीटी से)**

**i) श्रेणी वार धारित अंश**

| अंश धारक की श्रेणी | वर्ष के प्रारंभ में धारित अंश | | | | वर्ष के अंत में धारित अंश | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | डीमेंट | भौतिक | कुल | कुल अंश का प्रतिशत | डीमेंट | भौतिक | कुल | कुल अंश का प्रतिशत | वर्ष के दौरान बदलाव का प्रतिशत |
| **ए–प्रौत्साहक** | | | | | | | | | |
| (1) भारतीय | | | | | | | | | |
| (अ) वयक्तिक / हिन्दु अविभाजित परिवार | – | 100000 | 100000 | 100% | – | 100000 | 100000 | 100% | – |
| (ब) भारत सरकार | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (स) राज्य सरकार | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (द) बॉडी कार्पो. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (इ) बैंक / वित्तीय संस्था | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (ई) अन्य कोई | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **आंशिक योग– (ए) (1)** | – | 100000 | 100000 | 100% | – | 100000 | 100000 | 100% | – |
| (2) विदेश | | | | | | | | | |
| (अ) एनआरआई / वयक्तिक | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| केपिटल फण्ड | | | | | | | | | |
| (जी) अन्य कोई | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **आंशिक योग (ब) (1)** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.गैर संस्थान | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (अ) बॉडी कार्पो. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (ब) भारतीय | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (स) ओवरसिस | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (i) वयक्तिक अंशधारक जिन्होने नाममात्र अंश पूंजी धारित की हो रु. 1.00 लाख तक | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (ii) व्यक्तिक अंशधारक जिन्होने नाममात्र अंश पूंजी धारित की हो रु. 1.00 लाख से अधिक | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (स) अन्य (वर्णित) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **आंशिक योग (ब) (2)** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **योग सार्वजनिक अंश धारक (ब) = (ब)** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

**iv** दस अंश धारकों का अंश धारक पेटर्न (जीडीआर एवं एडीआर संचालक/प्रोत्सहको के अतिरिक्त )

| स.क्र. | नाम | विवरण | वर्ष के प्रारंभ में धारित अंश धारक | | वर्ष के अंत में धारित अंश धारक | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | शेयर की संख्याा | कम्पनी में शेयर का प्रतिशत | शेयर की संख्याा | कम्पनी में शेयर का प्रतिशत |
| | | वर्ष के प्रारंभ | – | – | – | – |
| – | – | वर्ष के दौरान प्रोत्साहक अंश धारक में तिथि वार बढोत्तरी/कमी कारण सहित (आवंटित/ट्रांसफर/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि) | – | – | – | – |
| – | – | वर्ष के अंत में | – | – | – | – |

**iv** संचालको एवं प्रबंधन मे अंशधारिता :

| स. क्र. | नाम | विवरण | अंश धारक | | वर्ष के दौरान कुल अंश धारिता | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | शेयर की संख्या | कम्पनी मे शेयर का प्रतिशत | शेयर की संख्याा | कम्पनी मे कुल अंश का प्रतिशत |
| 1 | देव प्रकाश गुप्ता (डीन न. 06437246 म.प्र. के राज्यपाल की ओर से) | वर्ष के प्रारंभ | 99997 | 99.997% | – | – |
| | | वर्ष के दौरान प्रमोटर्स शेयर धारक में तिथि वार बढोत्तरी/कमी कारण सहित (आवंटित/ट्रांसफर/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि) | – | – | – | – |
| | | वर्ष के अंत में | 99997 | 99.997% | – | – |
| 2 | संजय राणा (डीन न. 05141538) | वर्ष के प्रारंभ | 1 | 0.001 % | | |
| | | वर्ष के दौरान प्रमोटर्स शेयर धारक में तिथि वार बढोत्तरी/कमी कारण सहित (आवंटित/ट्रांसफर/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि) | | | | |
| | | वर्ष के अंत में | 1 | 0.001 % | – | – |
| 3 | पवन कुमार जैन (डीन न. 01636384) | वर्ष के प्रारंभ | 1 | 0.001 % | | |
| | | वर्ष के दौरान प्रमोटर्स शेयर धारक में तिथि वार बढोत्तरी/कमी कारण सहित | | | | |

**vi** संचालको एवं मुख्य प्रबंधकीय अधिकारियों के वेतन भत्ते आदि

| स. क. | नाम प्रबंध संचालक, पूर्ण कालिक संचालक या प्रबंधक | कुल वेतन | | | स्टाक आप्सन | स्वीट इक्वीटी | कमीशन | | अन्य | योग | अधिनियम के अनुसार सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के प्रावधान अनुसार वेतन | आय कर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के प्रावधान अनुसार अनुलाभ | आय कर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के प्रावधान अनुसार लाभ | | | लाभ का प्रतिशत | अन्य | | | |
| 1 | श्री संजय राणा (डीन न. 05141538) | 2157040.00 | — | — | — | — | — | — | 26319.00 | 2183359.00 | — |

ब. अन्य संचालकों या प्रबंधकें का पारिश्रमिक

| स. क. | नाम | स्वतंत्र संचालक | | | योग (1) | अन्य अकार्यकारी संचालक | | | योग (2) | योग (1+2) | कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक | अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कुल सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बोर्ड | क्मी | अन्य | | बोर्ड | कमी | अन्य | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **B संचालक** | | | | | |
| जुर्माना | लागू नही | लागू नही | लागू नही | लागू नही | लागू नही |
| सजा | लागू नही | लागू नही | लागू नही | लागू नही | लागू नही |
| दोनो को मिलाकर | लागू नही | लागू नही | लागू नही | लागू नही | लागू नही |
| **C अन्य अधिकारी** | | | | | |
| जुर्माना | लागू नही | लागू नही | लागू नही | लागू नही | लागू नही |
| सजा | लागू नही | लागू नही | लागू नही | लागू नही | लागू नही |
| दोनो को मिलाकर | लागू नही | लागू नही | लागू नही | लागू नही | लागू नही |

स्थानः– भोपाल
दिनांक : 21-2-2017

संचालक मंडल की ओर से

(सरबजीत सिंह)
अध्यक्ष

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश, ग्वालियर – 474 002
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (G & SSA)
MADHYA PRADESH, GWALIOR - 474 002

दिनांक / DATE : 06-01-2017

प्रति,

प्रबंध संचालक,
मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड,
भदभदा रोड,
भोपाल , मध्य प्रदेश

विषयः मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लेखाओ पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणीयां।

महोदय,

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के लेखाओं के संबंध मे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के अधीन शून्य टिप्पणी (Nil Comment) का प्रमाण पत्र भेज रहा हूँ , जिसे आप संचालको के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नक के रूप मे प्रकाशित करें ।

संलग्नः उपरोक्तनुसार

भवदीय

(मीना बोरा)
उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र लेखा परीक्षा )

ऑडिट भवन, झांसी रोड, ग्वालियर – 474 002
दूरभाषः 0751–2323504, 2323505, 2436827, फैक्स : 0751–2631290
AUDIT BHAWAN, JHANSI ROAD, GWALIOR-474002.
Telephone : 0751-2323504, 2323505, 2436827, Fax : 0751-2631290
E-mail : agaumadhyapradesh1@cag.gov.in

# मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
## तुलन–पत्रक 31 मार्च 2015 की स्थिति में

| | विवरण | टीप क्रमांक | 31 मार्च 2015 की स्थिति में | 31 मार्च 2014 की स्थिति में |
|---|---|---|---|---|
| I | | | राशि (रुपये में) | राशि (रुपये में) |
| | तुल्यता एवं देयता | | | |
| (अ) | अंशधारियों की निधि | | | |
| | (ए) अंश पूंजी | 1 | 4,57,50,000.00 | 4,57,50,000.00 |
| | (बी) बचत एवं आधिक्य | 2 | 45,17,03,996.76 | 35,78,21,845.59 |
| | **योग (अ)** | | **49,74,53,996.76** | **40,35,71,845.59** |
| (ब) | अन्य देयताएं | | | |
| | (ए) लांग टर्म बोरोईंग | 3 | 3,99,27,00,000.00 | 1,61,24,00,000.00 |
| (स) | चालू देयताएं | | | |
| | (अ) विविध देयताएं | 4 | 2,17,85,212.00 | 35,66,388.00 |
| | (ब) अन्य चालू देयताएं | 5 | 4,91,76,66,518.93 | 3,92,87,08,417.02 |
| | (स) अल्पावधि प्रावधान | 6 | 60,00,000.00 | 60,00,000.00 |
| | **योग (स)** | | **4,94,54,51,730.93** | **3,93,82,74,805.02** |
| | **योग (अ+ब+स)** | | **9,43,56,05,727.69** | **5,95,42,46,650.61** |
| | परिसम्पत्तियां | | | |
| (ड) | अन्य चालू परिसम्पत्तियां | | | |
| | (अ)स्थायी परिसम्पत्तियां | 7 | | |
| | (I)मूर्त परिसम्पत्तियां | | 2,40,46,241.82 | 1,85,20,999.94 |
| | (ब)दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम | 8 | 3,45,63,503.01 | 10,04,31,942.02 |
| | (स)अन्य परिसम्पत्तियां | 9 | 34,13,35,477.62 | 67,81,00,411.59 |
| | **योग (ड)** | | **39,99,45,222.45** | **79,70,53,353.55** |
| (ई) | चालू परिसम्पत्तियां | | | |
| | (ए) माल सूची | 10 | 5,16,41,47,122.16 | 2,89,09,36,740.95 |
| | (बी) व्यावसायिक वसूलनीय | 11 | 1,13,31,99,464.62 | 38,62,76,146.79 |
| | (सी) नगद एवं नगदतुल्य | 12 | 2,72,20,76,830.16 | 1,86,31,03,204.02 |
| | (डी) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम | 13 | 1,62,03,581.30 | 1,68,50,441.30 |
| | (ई) अन्य चालू परिसम्पत्तियां | 14 | 33,507.00 | 26,764.00 |
| | **योग (ई)** | | **9,03,56,60,505.24** | **5,15,71,93,297.06** |
| | **योग (ड+ई)** | | **9,43,56,05,727.69** | **5,95,42,46,650.61** |

# मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
## 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष का लाभ–हानि खाता

| क्रं. | विवरण | टीप क्रमांक | 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष की स्थिति में | 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष की स्थिति में |
|---|---|---|---|---|
| | | | राशि (रुपये में) | राशि (रुपये में) |
| 1 | निर्माण कार्यो से आय (सकल) | 15 | 27,11,79,095.97 | 16,57,26,974.38 |
| | निर्माण कार्यो से आय (शुद्ध) | | 27,11,79,095.97 | 16,57,26,974.38 |
| 2 | अन्य आय | 16 | 1,35,12,026.00 | 1,05,85,273.71 |
| | कुल आय (1+2) | | **28,46,91,121.97** | **17,63,12,248.09** |
| | व्यय | | | |
| | (ए) कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं अन्य लाभ | 17 | 10,89,17,850.00 | 7,39,16,854.00 |
| | (बी) मूल्य ह्रास एवं अन्य व्यय | 7 | 31,32,491.08 | 22,97,047.23 |
| | (सी) अन्य एवं प्रशासनिक व्यय | 18 | 2,87,03,310.49 | 91,42,937.93 |
| | कुल व्यय | | **14,07,53,651.57** | **8,53,56,839.16** |
| 5 | विशेष एवं असाधारण व्यय के पूर्व लाभ | | 0.00 | 0.00 |
| 6 | कर पूर्व लाभ | | 14,39,37,470.40 | 9,09,55,408.94 |
| 7 | कर व्यय | | | |
| | वर्तमान कर (आयकर) का प्रावधान | | 4,84,95,612.23 | 3,00,15,284.95 |
| | डेफर्ड टेक्स | | 3,89,757.23 | 4,46,842.36 |
| 8 | वर्ष का लाभ/हानि | | **9,50,52,101.17** | **6,04,93,281.62** |
| | आय प्रति अंश रु. (राशि रुपये में) | 19 | 2077.64 | 1,322.26 |
| | कम की गई आय या प्रति अंश (राशि रुपये) | | 2077.64 | 1,322.26 |
| | कर पश्चात शुद्ध लाभ (7–8) | | **9,50,52,101.17** | **6,04,93,281.62** |

## मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड

नोट जो लेखों का भाग है :—

नोट : 1 अंश पूंजी

| विवरण | 31 मार्च 2015 की स्थिति में | | 31 मार्च 2014 की स्थिति में | |
|---|---|---|---|---|
| | अंशे की संख्या | राशि | अंशे की संख्या | राशि |
| अधिकृत<br>100000 इक्विटी शेयर प्रत्येक रु. 1000/— | 1,00,000.00 | 10,00,00,000.00 | 1,00,000.00 | 10,00,00,000.00 |
| जारी किये गये एवं चूकता 100000 इक्विटी शेयर प्रत्येक रु. 457.50 प्रत्येक आंशिक भुगतान प्रत्येक रु. 457.50 | 1,00,000.00 | 4,57,50,000.00 | 1,00,000.00 | 4,57,50,000.00 |
| **योग** | | **4,57,50,000.00** | | **4,57,50,000.00** |

नोटः— 1.1 कम्पनी के एक ही प्रकार के इक्विटी अंश है, प्रत्येक 1000/— आंशिक चुकता रु. 457.5 लाख । कम्पनी लाभांश भारतीय रुपये में घोषित करती है । संचालक मण्डल द्वारा घोषित लाभांश, अंशधारियों की आगामी वार्षिक साधारण आम सभा में अनुमोदन पर निर्भर करता है ।

कम्पनी के परिसमापन की स्थिति मे इक्विटी शेयर के धारकों को शेष परिसम्पत्तियों की पात्रता होगी । विचारणीय राशियों को छोड़कर विभाजन, अंशधारियों द्वारा धारित अंशो की संख्या के अनुपात में होगी ।

नोट 1:2 बकाया अंशो के संख्या का समाधान वर्ष के अन्त में निम्नानुसार है :—

| विवरण | 31 मार्च 2015 की स्थिति में | 31 मार्च 2014 की स्थिति में |
|---|---|---|
| वर्ष के आरम्भ में इक्विटी शेयर | 1,00,000.00 | 1,00,000.00 |
| वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर | .— | .— |
| वर्ष के अन्त में इक्विटी शेयर | 1,00,000.00 | 1,00,000.00 |

नोटः 3 दीर्घावधि ऋण

| विवरण | 31 मार्च 2015 की स्थिति | 31 मार्च 2014 की स्थिति |
|---|---|---|
| | राशि रुपये | राशि रुपये |
| आरक्षित ऋण<br>(I) दीर्घकालीन ऋण<br>हुडको से ऋण शासन की प्रत्याभूति पर आरक्षित | 3,99,27,00,000.00 | 1,61,24,00,000.00 |
| **योग** | 3,99,27,00,000.00 | **1,61,24,00,000.00** |

नोटः 3.1 हुडको से सावधि ऋण

कम्पनी ने रु. 198.80 करोड़ सावधि ऋण हुडको से लिया है जो राज्य शासन की प्रत्याभूति पर है :—

| विवरण | परिपक्वता की तिथि | लागू ब्याज दर |
|---|---|---|
| टर्म लोन (तिमाही पूर्नभुगतान किस्त रु 3.69 करोड़) | 31/08/2026 | 10.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष |

नोटः 3.2 अन्य से सावधि ऋण

कम्पनी ने पत्र क्रमांक एफ 6/800/98—पी.एम.यू./162, दिनांक 10.09.201 द्वारा मध्यप्रदेश शासन स्टेट रिन्यूअल फण्ड (एस.आर.एफ.) से ऋण प्राप्त किया है । इस पत्र के अनुसार स्वीकृत राशि कार्पोरेशन द्वारा द्वारा लिया गया ऋण रहेगा । इस पर ब्याज लगेगा । ब्याज दर वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर घोषित ब्याज दर लागू होगी । ऋण, कार्पोरेशन की परिसम्पत्तियों के विरुद्ध आरक्षित रहेगा । तथापि उपयुक्त दस्तावेज तथा अनुबन्ध इस सम्बंध में नही बनाए गए थे । इनके अतिरिक्त लेखों में वर्ष 2013—14 के लिए एस.आर.एफ. ऋण पर ब्याज के लिए प्रावधान नही किया गया, क्योंकि मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा ब्याज की दर निश्चित नही की गई ।

नोटः 3.3 वर्ष 2014—15 के दौरान हुडको ऋण पुर्नभुगतान रुपये 1476.00 लाख एवं ब्याज का भुगतान रु. 2288.76 लाख किया है ।

नोटः 5.1 व्यय के लिये प्रावधान

| विवरण | 31 मार्च 2015 की स्थिति | 31 मार्च 2014 की स्थिति |
|---|---|---|
| | राशि रुपये | राशि रुपये |
| बकाया व्यय (वेतन, यात्रा भत्ता, टेलीफोन, बिजली, पेट्रोल आदि) | 1,83,46,671.42 | 85,94,458.42 |
| भुगतान नही किया गया वेतन एवं अन्य | 34,089.00 | 94,689.00 |
| भुगतान नही किया गया इनाम | 850.00 | 550.00 |
| देय लेखा परीक्षा फीस | 1,50,000.00 | 1,23,596.00 |
| **योग** | **1,85,31,610.42** | **88,13,293.42** |

नोटः 5.2 वैधानिक देयताएं

| विवरण | 31 मार्च 2014 की स्थिति | 31 मार्च 2014 की स्थिति |
|---|---|---|
| | राशि रुपये | राशि रुपये |
| वेट टैक्स | 11,45,029.00 | 11,42,477.00 |
| लेबर टैक्स | 7,24,925.00 | 24,751.00 |
| आयकर / टीडीएस | — | 29,94,032.04 |
| व्यावसायिक टैक्स / लेबर टैक्स देय | 5,459.00 | 4,32,985.00 |
| टैक्स देय प्रावधान 2013–14 | — | 3,00,15,284.95 |
| **योग** | **18,75,413.00** | **3,46,09,529.99** |

| | | |
|---|---|---|
| अग्रिम | | |
| निक्षेप कार्यो के लिये प्राप्त अग्रिम | 1,88,03,199.63 | 1,43,36,833.06 |
| अग्रिम पी.डबल्यू.डी. | 15,30,000.00 | — |
| अग्रिम आई.जी./डी.आई.जी. कार्यालय होशंगाबाद | 2,50,00,000.00 | — |
| अग्रिम पुलिस आई.टी.आई | 1,05,00,000.00 | — |
| अग्रिम सी.सी.टी.व्ही. कंट्रोल रुम | 11,00,00,000.00 | — |
| अग्रिम फॉरेंसिक साईंस | 3,00,00,000.00 | — |
| अग्रिम निर्माण कार्यो के लिये | 1,30,36,603.00 | — |
| अग्रिम प्रीफेब्रिकेशन नक्शल क्षेत्र | 10,00,00,000.00 | — |
| अग्रिम कॉलसेंटर एवं कंट्रोल रुम | 4,50,00,000.00 | — |
| अन्य कार्यो की राशि पर जमा ब्याज | 78,00,42,160.28 | 64,32,98,587.63 |
| **योग** | **4,61,63,43,320.40** | **3,65,90,52,065.50** |

नोट:5.4 अन्य विविध देयताएः—

| विवरण | 31 मार्च 2015 की स्थिति | 31 मार्च 2014 की स्थिति |
|---|---|---|
| | राशि रुपये | राशि रुपये |
| जीपीएफ खाता | 8,898.00 | 2,898.00 |
| ई.पी.एफ. देय | 2,23,504.00 | 54,846.00 |
| जी.आई.एस. देय | 6,454.00 | 8,669.00 |
| डायरेक्टर आर्फ पब्लिसिटी | 61,435.00 | 61,435.00 |
| अन्य विविध देयताएं | 11,10,636.35 | 4,81,241.35 |
| लाभांश एवं लाभांश कर देय | 23,39,900.00 | 11,62,225.00 |
| मोबेलाईजेशन अग्रिम देय | 94,993.00 | — |
| **योग** | **38,45,820.35** | **17,71,314.35** |

नोटः 6 लघु अवधि प्रावधान

| विवरण | 31 मार्च 2015 की स्थिति | 31 मार्च 2014 की स्थिति |
|---|---|---|
| | राशि रुपये | राशि रुपये |
| एस.आर.एफ. फंड पर ब्याज | 60,00,000.00 | 60,00,000.00 |
| **योग** | **60,00,000.00** | **60,00,000.00** |

नोटः 10 इनवेंटरी

| विवरण | 31 मार्च 2015 की स्थिति | 31 मार्च 2014 की स्थिति |
|---|---|---|
| | राशि रुपये | राशि रुपये |
| निर्माण कार्य प्रगति पर | 5,16,41,77,897.16 | 2,89,08,64,345.95 |
| निर्माण सामग्री–सीमेंट | (34200.00) | 68,970.00 |
| इलेक्ट्रिक फिटिंग एवं पंखे | 3,425.00 | 3,425.00 |
| **योग** | **5,16,41,47,122.16** | **2,89,09,36,740.95** |

नोटः 11 ट्रेड प्राप्ति योग्य

| विवरण | 31 मार्च 2015 की स्थिति | 31 मार्च 2014 की स्थिति |
|---|---|---|
| | राशि रुपये | राशि रुपये |
| छः माह से अधिक की अवधि के लिये | . | . |
| निविदाकारो को रक्षित अग्रिम | 8,86,70,021.00 | 1,91,33,201.00 |
| अनारक्षित प्राप्ति योग्य माना गया (मध्य प्रदेश शासन से) | 1,04,76,05,443.62 | 37,02,18,945.79 |
| घटायाः अनिधि ऋण का प्रावधान | 30,76,000.00 | 30,76,000.00 |
| **योग** | **1,13,31,99,464.62** | **38,62,76,146.79** |

नोटः 12 नगद एवं नगद तुल्य

| विवरण | 31 मार्च 2015 की स्थिति | 31 मार्च 2014 की स्थिति |
|---|---|---|
| | राशि रुपये | राशि रुपये |
| नगद | 87,619.00 | .63,036.00 |
| बैंक में जमा शेष राशि बचत खाता/चालू खाता | .2,72,19,89,211.16 | 1,86,30,40,168.02 |
| **योग** | **2,72,20,76,830.16** | **1,86,31,03,204.02** |

नोटः 13 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

| विवरण | 31 मार्च 2015 की स्थिति | 31 मार्च 2014 की स्थिति |
|---|---|---|
| | राशि रुपये | राशि रुपये |
| कर्मचारी अग्रिम (नोटः 12.1 नीचे आया) | 20,13,952.30 | 26,05,232.30 |
| पूर्व भूगतान बीमा | 19,883.00 | 75,463.00 |
| एस.एस.पी. भोपाल को दिया गया अग्रिम | 1,41,69,746.00 | 1,41,69,746.00 |
| **योग** | **1,62,03,581.30** | **1,68,50,441.30** |

नोटः 16 अन्य आय

| विवरण | 31 मार्च 2015 की स्थिति | 31 मार्च 2014 की स्थिति |
|---|---|---|
| | राशि रुपये | राशि रुपये |
| **अन्य नान आपरेटिंग आय** | . | . |
| कर्मचारी अग्रिम पर ब्याज | 74,499.00 | 93,225.00 |
| टेंडर फार्म की बिक्री एवं पंजीयन फीस | 95,78,440.00 | 38,87,198.00 |
| कार्यालय भवन का प्राप्त किराया | 4,23,325.00 | 5,08,008.00 |
| अन्य विविध आय | 34,35,762.00 | 60,96,842.71 |
| पूर्व वर्षों की आय | — | — |
| **योग** | **1,35,12,026.00** | **1,05,85,273.71** |

नोटः 17 कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं लाभ

| विवरण | 31 मार्च 2015 की स्थिति | 31 मार्च 2014 की स्थिति |
|---|---|---|
| | राशि रुपये | राशि रुपये |
| प्रशासनिक प्रभार ई.पी.एफ/एफ.पी.एफ. | 7,99,504.00 | 6,39,906.00 |
| अंशदान ई.पी.एफ/एफ.पी.एफ. | 88,53,074.00 | 71,37,804.00 |
| ई.डी.एफ.आई. प्रभार | 4,17,462.00 | 1,29,568.00 |
| ग्रेच्यूटी प्रिमियम | 31,74,893.00 | 27,60,775.00 |
| समूह अवकाश नगदीकरण | 26,44,879.00 | 8,09,474.00 |
| मकान किराया | 1,61,411.00 | 86,289.00 |
| अवकाश वेतन नगदीकरण एवं पेंशन अंशदान | 48,243.00 | 2,71,329.00 |
| चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय | 7,22,835.00 | 6,18,719.00 |
| ईनाम | 1,55,700.00 | 77,550.00 |
| वेतन एवं भत्ते | 9,19,39,849.00 | 6,13,85,440.00 |
| **योग** | **10,89,17,850.00** | **7,39,16,854.00** |

नोटः 17.1 पिछले समय के व्यय

| विवरण | 31 मार्च 2014 की स्थिति | 31 मार्च 2013 की स्थिति |
|---|---|---|
| | राशि रुपये | राशि रुपये |
| पिछले समय की आय<br>(वित्तीय वर्ष 2004–05, एल.आई.सी. को ग्रेच्युटी फण्ड वापस)<br>पिछले समय के व्यय | 21,862.00.<br><br>— | —<br><br>97,054.00 |
| **योग** | **97,054.00** | **(17,22,620.00)** |

नोटः 18. प्रति शेयर आय

| विवरण | 31 मार्च 2014 की स्थिति | 31 मार्च 2013 की स्थिति |
|---|---|---|
| | राशि रुपये | राशि रुपये |
| शुद्ध लाभ हानि लेखो के अनुसार | 9,50,52,101.17 | 6,40,93,281.62 |
| इक्विटी शेयर की संख्या (मूल्य रू. | 1,00,000.00 | 1,00,000.00 |
| 1000/– प्रत्येक आंशिक भुगतान रू. 457.50 प्रत्येक) | 45,750.00 | 45,750.00 |
| एक शेयर पर आय | 2,077.64 | 1,322.26 |
| प्रति शेयर कम की गई आय | 2,077.64 | 1,322.26 |

# केशफ्लो स्टेटमेंट
# मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
# 31 मार्च 2015 की स्थिति में

| क्रमांक | विवरण | वर्षान्त 31.03.2015 | वर्षान्त 31.03.2014 |
|---|---|---|---|
| ए | केशफ्लो चल रही गतिविधियों से– | | |
| | शुद्ध लाभ कर के पूर्व तथा चल रही अभिन्न गतिविधियों से समायोजन के लिये | 14,39,37,47.40 | 9,09,55,408.94 |
| | मूल्य ह्रास | 31,32,491.08 | 22,97,047.23 |
| | ब्याज तथा अन्य आय | (1,35,12,026.00) | (1,05,85,273.71) |
| | माल पूंजी लाभ कार्यशील पूंजी में बदलाव | 13,35,57,935.48 | 8,26,67,182.45 |
| | पूर्व परिसम्पत्तियों एवं | | |
| | देयताओं में बदलाव | | |
| | वृद्धि (कमी) व्यावसायिक देयताओं एवं अन्य देयताओं में | 1,82,18,824.00 | (67,77,701.00) |
| | वृद्धि (कमी) अल्पावधि प्रावधान में | 98,89,58,101.91 | 19,44,89,413.09 |
| | वृद्धि (कमी) दीर्घकालीन प्रावधान में | 2,38,03,00,000.00 | 66,00,00,000.00 |
| | कमी (वृद्धि)माल सूची में | (2,27,32,10,381.21) | (73,25,31,814.94) |
| | कमी (वृद्धि) व्यावसायिक प्राप्तियों में | (74,69,23,317.83) | (36,56,12,526.29) |
| | कमी (वृद्धि)ऋण एवं अग्रिम में | 6,46,860.00 | 6,32,785.00 |
| | कमी (वृद्धि) अन्य चालू परिसम्पत्तियों में | (6,743.00) | 3,06,47,269.00 |
| | कमी (वृद्धि) मूर्त परिसम्पत्तियों में | 33,67,64,933.97 | 31,99,29,019.50 |
| | कमी (वृद्धि) दीर्घकालीन ऋण में | 6,58,68,439.01 | (7,64,21,178.09) |
| | परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नगद | 90,41,74,652.33 | 10,70,22,448.72 |
| | करों का भुगतान | 4,90,55,319.23 | 3,06,32,077.31 |
| | लाभांश का भुगतान | 10,00,000.00 | 10,00,000.00 |
| बी | परिचालन गतिविधियों में शुद्धनगद का | 85,41,19,333.10 | 7,53,90,371.41 |
| | प्रबंधन प्रावधान | | |
| | पूंजी क्रियाओं से केश फ्लो | (86,57,732.96) | (15,00,948.00) |
| | स्थाई परिसम्पत्तियों में वृद्धि | 1,35,12,026.00 | 1,05,85,273.71 |
| | ब्याज की प्राप्ति | | |
| सी | निवेश की गतिविधियों से शुद्ध लाभ | 48,54,293.04 | 90,84,325.71 |
| | नगद एवं नगद तुल्य में वृद्धि (कमी) | 85,89,73,626.14 | 8,44,74,697.12 |
| | नगद एवं नगद तुल्य प्रारंभिक | 1,86,31,03,204.02 | 1,77,86,28,506.90 |
| | नगद एवं नगद तुल्य अंतिम | 2,72,20,76,830.16 | 1,86,31,03,204.02 |

कृते एवं संचालक मण्डल की ओर से

हमारे उसी दिनांक के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार
कृते मेसर्स शिवनंदन अग्रवाल एण्ड कम्पनी,
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस
फर्म रजि. नं 04463 सी

सही/–
(संजय राणा)
प्रबंध संचालक

सही/–
(पवन जैन)
संचालक

सही/–
(शिवनंदन अग्रवाल)
पार्टनर
मेम्बरशिप नं. 073415

सही/–
(पी.के. त्रिपाठी)
वित्तीय सलाहकार/
मुख्य लेखा अधिकारी
स्थान–भोपाल
दिनांक 17/08/2016

सही/–
(विनोद उप्पल)
लेखा अधिकारी

रहे निर्माण कार्य तथा पूर्ण हुए निर्माण कार्य के ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल (चलित देयक एवं अंतिम देयक) जो कार्पोरेशन द्वारा वर्ष के अंत तक स्वीकृत किए गए हैं, सम्मिलित किए जाते हैं । जब म.प्र. पुलिस विभाग को प्रोजेक्ट का हस्तांतरण कर दिया जाता है, तब उस कार्य को निर्माण कार्य प्रगतिरत में से हटा दिया जाता है । पंखे एवं बिजली के उपकरणों का मूल्यांकन भारित औसत कीमत पर अथवा शुद्ध प्राप्त होने वाला मूल्य में से जो भी कम हो के अनुसार किया गया है । अन्य निर्माण सामग्री का मूल्यांकन उसके मूल्य के आधार पर किया गया हैं ।

4. **स्थायी परिसम्पत्तियां –**

(अ) स्थायी परिसम्पत्तियों मूल्य ह्रास घटाकर दर्शित की गयी । स्वयं निर्माण कार्य का आंकलन लागत मूल्य के आधार पर किया गया है ।

(ब) प्रगतिरत निर्माण–कार्य–पूंजी को उनकी लागत के आधार पर दर्शाया गया है ।

5. **मूल्य ह्रास–** वर्ष 2013–14 के अन्त तक स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास का प्रावधान, डब्ल्यू.डी.वी. पद्धति से, कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में निर्देशित एवं दर्शाई गई दर एवं विधि से किया जाता रहा जिसे चालू वर्ष से कम्पनीय अधिनियम, 2013 की अनुसूची II से बदल कर पुन सम्बद्ध किया गया । अवधि के दौरान खरीदी गई/बेची गई, स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास आनुपातिक रूप से प्रावधानित किया गया है ।

प्रबंधन द्वारा परिसम्पत्तियों का उपयोगी जीवन, निश्चित अवशिष्ट मूल्य का अनुमान लगाया है । प्रबंधन का मानना है कि वर्तमान में मूल्य ह्रास दरों का काफी इस्तेमाल अनुमानित उपयोगी जीवन और अचल सम्पत्ति का अवशिष्ट मूल्य/सामग्री के अनुमान में बदलाव का प्रभाव कम्पनी के वित्तीय विवरण पर नहीं पड़ता है । जब तक अन्यथा न कहा गया हो भविष्य के वर्षो के लिये वर्तमान वर्ष की अच्छी पकड़ की संभावना का उल्लेख किया है ।

करने की शर्त के साथ देखा जाता है, उनकी समीक्षा तथा उनका समयोजन प्रत्येक तुलना पत्रक बनाते समय किया जाता है, जिससे कि प्रबंधक के वर्तमान आंकलन को देखा जा सकें ।

11. **<u>अनिश्चिततायुक्त ऋण एवं अग्रिम हेतु प्रावधान–</u>** जिन प्रकरणों में प्रबंधन द्वारा ऐसा समझा जाता है कि ऋण तथा ऋण एवं अग्रिमों की वसूली नहीं हो सकेगी उनमें अनिश्चित ऋण तथा ऋण एवं अग्रिमों के लिए लेखों में पूर्व के वर्षो में दिये गये ऋण एवं अग्रिम की राशि रू. 30,76,000.00 का प्रावधान किया गया है ।

12. **<u>कर के लिए प्रावधान–</u>** वर्ष के लिए शुद्ध लाभ–हानि निर्धारण में चालू कर सहित उस अवधि का कर व्यय सम्मिलित कर दिया गया है । भारत में लागू कर नियमों के अनुसार कर विभाग को दिए जाने वाले चालू कर की गणना दिए जाने वाले अपेक्षित करके आधार पर की गयी है । इस वर्ष के कर का प्रावधान रू. 4,84,95,612.23 एवं डेफर्ड कर रू. 3,89,757.00 है ।

**<u>विवादित आयकर मामलों के विषय में–</u>**

कम्पनी के आयकर के जो मामले अपील में लंबित हैं, उनके कम्पनी के पक्ष में निर्णय होने पर राशि का भुगतान/समायोजन और राशि की वापसी होना है उनकी वसूली की जाएगी ।

13. **<u>आकस्मिकताएं–</u>** देयताएं जो वस्तु आधारित है, तथा जिनका परिणाम तार्किक निश्चितता से ज्ञात नहीं किया जा सकता, उन्हें आकस्मिक माना गया है तथा उनको लेखाओं पर टीम में दर्शाया गया है । वित्तीय लेखों में चालू परिसम्पत्तियों का न तो पहचाना गया है और न ही दर्शाया गया है ।

14. **<u>प्रति अंश आय–</u>** प्रति अंश निर्धारित करते समय कंपनी कर पश्चात् शुद्ध लाभ पर विचार करता है तथा किसी विशेष/अपवादात्मक मद के कर पश्चात् प्रभाव को सम्मिलित कर लेता है । प्रति अंश मूल आपकी गणना करने में, एवं प्रति अंश कम की गई आय की गणना करने में, इस अवधि में बकाया विचार किए जाने वाले औसत अंश संख्या के अंश आते हैं ।

## (ई) शासकीय प्रत्याभूति के विरूद्ध हडको का ऋण

i. राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा कार्पोरेशन को उपलब्ध कराए गए वित्तीय स्त्रोत अग्रिम जमा के रूप में दिए गए हैं । शासन के निर्देशानुसार कार्पोरेशन द्वारा इस राशि को किसी प्रकार के डिपाजिट में रखने पर परिणाम स्वरूप उद्‌भूत हुई राशि को इन्हीं फण्ड्स में वृद्धि मान्य की जाएगी और इसे राज्य शासन के निर्देशानुसार पुर्नविनियोजित किया जाएगा । इन राशियों/जमा राशियों पर प्राप्त ब्याज को कार्पोरेशन का लाभ/आय मान्य नहीं होगा तथापि इसे "शासकीय फण्ड्स पर अर्जित ब्याज " मदशीर्ष के अंतर्गत लेखांकन किया जाएगा ।

ii. कार्पोरेशन ने शासकीय प्रत्याभूति के विरूद्ध हडको से भी राशि प्राप्त की है । यदि कभी हडको के ऋण के विरूद्ध शासन से ब्याज की वसूली हुई हो तो उसे इन राशियों को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के पास अल्पअवधि जमा करने के परिणामस्वरूप प्राप्त हुए ब्याज की राशि का प्रभाव देकर शुद्ध राशि दर्शायी गई है।

## (एफ) अंशपूंजी–

म0प्र0 शासन जो कि कंपनी के मुख्य अंशधारक है द्वारा पत्र क्र. एफ–21, 31/94/बी–3/2 भोपाल, दिनांक 14.02.2000 से निर्देशित किया गया कि कारपोरेशन को प्रारंभिक रूप से 1996 में अंशपूंजी के रूप में उपलब्ध कराए गए रू. 4.00 करोड़ को ब्याजमुक्त ऋण के रूप में मान्य किया जाए । चूंकि कम्पनी इस स्थिति में नहीं है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंशपूंजी में कमी करने के प्रावधानों का पालन कर सके अतः इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया है ।

## (जी) कार्यालय भवन की भूमि–

जिस भूमि पर कार्यालय भवन का निर्माण किया गया है वह न तो फ्रीहोल्ड है न ही लीज होल्ड । यह भूमि (क्षेत्रफल 120 मी. X 80 मी.) मध्यप्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर के आदेश दिनांक 21.01.1993 द्वारा कार्पोरेशन को आवंटित की गई है। यह भूमि इस शर्त के साथ दी गई है कि कार्पोरेशन के बन्द होने की स्थिति में यह भूमि प्रशासकीय भवन के साथ मध्यप्रदेश पुलिस विभाग की सम्पत्ति होगी ।

(एल) कार्पोरेशन द्वारा अर्नेस्ट मनी डिपाजिट, ठेकेदारों तथा कार्पोरेशन के नाम से सावधि जमा के रूप में प्राप्त किया गया है । इनको कार्पोरेशन की लेखा पुस्तकों में नहीं दर्शाया गया है ।

(एम) अध्यक्ष तथा प्रबंध संचालक को दिए गए मानदेय निम्नानुसार हैं :—

| मद | अध्यक्ष | प्रबंध संचालक |
|---|---|---|
| वेतन | 1822325/— | 2157040/— |
| चिकित्सा | 22050/— | 26319/— |

(एन) यात्रा व्यय में रू. 168275/— (पूर्व वर्ष रू. 168329/—) संचालकों से संबंधित है ।

(ओ) अंश आवंटित करने के लिए कोई और आमंत्रण नहीं जारी किए गए हैं ।

(पी) कम्पनी एकल समगक्र रूप से कार्य करती है अर्थात पुलिस विभाग के लिए कार्यालय भवनों का निर्माण तथा अन्य निर्माण गतिविधियां साथ—साथ चलती है । अतः कोई गतिविधि मुख्य हो या कोई गौण हो ऐसा नहीं समझा जाता है ।

(क्यू) **पूर्व वर्ष का आय/व्यय**

पूर्व वर्षो की आय रू. 21862.00 का समायोजन संबंधित व्यय के मद में कर दिया गया है।

(आर) **आकस्मिक देयताएं जिनका प्रावधान नहीं किया गया है—**

| क्र. | विवरण | 31 मार्च 2015 | 31 मार्च 2014 की स्थिति |
|---|---|---|---|
| | कंपनी के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है | | |
| (अ) | **आयकर** | | |
| 01. | आयकर—आंकलन वर्ष 2004—05 | 6,28,000 | 6,28,000 |
| 02. | आयकर—आंकलन वर्ष 2005—06 | 34,69,360 | 34,69,360 |
| 03. | आयकर—आंकलन वर्ष 2006—07 | 34,40,240 | 34,40,240 |
| 04. | आयकर—आंकलन वर्ष 2007—08 | 1,36,41,329 | 1,36,41,329 |
| 05. | आयकर—आंकलन वर्ष 2008—09 | 4,22,62,333 | 4,22,62,333 |
| 06. | आयकर—आंकलन वर्ष 2009—10 | 8,11,55,730 | 8,11,55,730 |
| (ब) | **सर्विस टेक्स—** कार्पोरेशन द्वारा कस्टम, एक्साइज एवं सर्विस टेक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल नई दिल्ली से पहले जमा करने की मांग पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है । कार्पोरेशन के मत से अपील का निर्णय कार्पोरेशन के पक्ष में होगा । अतः आकस्मिक देयता नहीं दर्शाई गई है । | | |

# स्वतंत्र अंकेक्षण का प्रतिवेदन

प्रति,

अंशधारीगण,
मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड,
भोपाल.

## वित्तीय पत्रकों पर प्रतिवेदन–

हमने मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के 31 मार्च 2015 की स्थिति में संलग्न तुलनपत्र तथा इसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि लेखे, नगद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की संक्षेपिका एवम् अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं की लेखा परीक्षा की है ।

## वित्तीय पत्रकों के विषय में प्रबंधकीय जिम्मेदारी–

प्रबंधन की जवाबदारी है कि वे ऐसे वित्तीय पत्रक तैयार करे जो कंपनीज एक्ट 2013 की उपधारा (3सी), धारा 211 की उपधारा (3सी) में निहित लेखांकन मानकों के आधार पर सही एवं उचित वित्तीय स्थिति, वित्तीय अनुपालन तथा नगद प्रवाह विवरण की सही एवं उचित स्थिति दर्शित करें । इस उत्तरदायित्व में आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा तथा रखरखाव जो कि सही एवं उचित वित्तीय पत्रकों को तैयार करने एवम् उनके प्रस्तुतीकरण तथा महत्वपूर्ण यथार्थ विवरण जो कि धोखाधड़ी अथवा त्रुटियों से मुक्त हो, सम्मिलित है ।

## अंकेक्षक की जिम्मेदारी–

हमारी जवाबदारी यह है कि किए गए अंकेक्षण के आधार पर इन वित्तीय पत्रकों के आधार पर हम अपना अभिमत अभिव्यक्त करें । द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया के सामान्यतः मान्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार हमने लेखा परीक्षा की है । इन मानकों द्वारा यह अपेक्षित था कि इस लेखा परीक्षा की कार्ययोजना इस प्रकार बनाई एवं कार्यान्वित की जाए कि यह समुचित रूप से सुनिश्चित हो सके, कि वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण रूप से कोई गलत कथन न हो ।

लेखा परीक्षण में, वित्तीय विवरण में दी गई राशियों एवं किए गए डिस्क्लोजर को सहारा देने वाले साक्ष्यों को परीक्षण के तौर पर जाँचना, शामिल होता है । अंकेक्षण प्रक्रिया का चयन अंकेक्षकों के निर्णय पर निर्भर होता है जो कि वित्तीय पत्रकों में धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के विषय में महत्वपूर्ण यथार्थ विवरण के संबंध में ली गई जोखिम स्तर पर निर्भर करता है । ऐसे जोखिम के निर्धारण के लिए अंकेक्षक यह ध्यान में रखते हैं कि वित्तीय पत्रकों के उचित प्रस्तुतीकरण के चित्रण के लिए आंतरित नियंत्रण की दृष्टि से कौनसी अंकेक्षण पद्धति परिस्थितियों को देखते हुए उचित है । लेखा–परीक्षा में, लेखा परीक्षा हेतु प्रयोग में लाए गये लेखांकन सिद्धान्तों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का

(डी) हमारी राय में, हमारी इस रिपोर्ट में दर्शाए गए तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता, नगद प्रवाह विवरण, जहां तक लागू का कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में दर्शाये गए लेखा मानकों का जहां तक लागू है का पालन करते हैं ।

(ई) कार्पोरेशन मामलों के विभाग की अधिसूचना जी.एस.आर. 829 (ई) दिनांक 21 अक्टूबर 2003, के अनुसार शासकीय कम्पनियो को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 274 की उपधारा (1) के क्लॉज (जी) से छूट प्राप्त हैं ।

स्थान– भोपाल

दिनांक 17.08.2016

**कृते शिवनन्दन अग्रवाल एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफआरएन नं. 004463 सी
हस्ताक्षर
सी.ए. शिवनन्दन अग्रवाल
भागीदार
सदस्य संख्या 073415

iv. हमारे विचार से, हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कार्पोरेशन के आकार एवं प्रकार के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया है, किन्तु ठेकेदारों एवं कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम, बकाया पुराने ऋण तथा अग्रिमों के संबंध में, जमानत राशि के अभिलेखों का उचित संधारण, विविध जमा राशिं तथा उनका आयुवार वर्गीकरण बकाया राशियों के संबंध में, बकाया राशियों की वसूली की मॉनिटरिंग के कार्यो को, खाती के शेषका उचित रखरखाव और सशक्त किए जाने की आवश्यकता है । लेखा पुस्तकों में दीर्घकालीन, अस्पष्ट लंबित राशियां शेष है जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है ।

v. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कार्पोरेशन द्वारा, कंपनी अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत, सूची में दिए गए पक्षों से वस्तु अथवा सामग्री नहीं खरीदी गई है।

vi. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण अनुसार कार्पोरेशन द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58ए, 58 एए एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम को ध्यान में रखते हुए पब्लिक से कोई जमा स्वीकार नहीं किया गया है ।

vii. हमारे विचार से कार्पोरेशन में उसके व्यवसाय के आधार व प्रकार के अनुरूप आंतरिक अंकेक्षण की व्यवस्था हैं अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र व विषयक्षेत्र और बढ़ाया जाना चाहिए ।

viii. केन्द्र शासन द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 209(1)(डी) के अंतर्गत प्रदान की गई किसी भी सेवा के लिए लागत निर्धारण के अभिलेख संधारण करने हेतु निर्देश नहीं दिये गये है ।

ix(अ) प्रोविडेन्ट फण्ड देयताएं, आयकर, विक्रयकर तथा अन्य वैधानिक देयताएं, उचित अधिकारियों के पास समय पर जमा की गई है, किन्तु कुछ प्रकरणों में मात्र विलंब हुआ है। यह भी है कि केन्द्र शासन द्वारा अधिनियम की धारा 441ए के अंतर्गत अभी तक उपकार की राशि निर्धारित नहीं की है, हम यह टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है कि कार्पोरेशन द्वारा उपकार की देयता की राशि जमा करने में नियमितता बरती है अथवा नहीं ।

(ब) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार छः माह से अधिक समय से बकाया आयकर, सम्पत्ति कर, सीमा शुल्क एवं आबकारी शुल्क की अविवादास्पद देय राशियां, निम्नलिखित मदों को छोड़कर नहीं की गई हो :–

| **वैधानिक देयता का नाम** | **देयता का प्रकार** | **विवादास्पद राशि (रूपये)** | **किस अवधि की देयता** | **फोरम जहां विवाद लंबित है।** |
|---|---|---|---|---|
| आयकर अधिनियम | आयकर | 13,50,000.00 | कर निर्धारण वर्ष 2002–03 | आईटीएटी द्वारा रिमांड हेतु वापस |
| | आयकर | 1,00,83,676.00 | कर निर्धारण | आईटीएटी द्वारा |

किसी वित्तीय संस्थान को, बैंक को अथवा डिवेन्चर धारक को, पुर्नभुगतान में कोई चूक नहीं की गई है।

xii. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण पर तथा हमें प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कार्पोरेशन द्वारा शेयर, डिवेन्चर एवं अन्य सुरक्षानिधि को गिरवी रखकर ठेकेदारों को दिए गए अग्रिमों को छोड़कर कोई ऋण तथा अग्रिम नहीं दिए गए हैं।

xiii. हमारे विचार से एवं हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कार्पोरेशन की गतिविधियों को देखते हुए, चिटफण्ड एवं निधि/मिच्यूअल बेनिफिट फण्ड/सोसायटी पर लागू होने वाले वैधानिक नियम की ओर आवश्यक ध्यान दिया गया है।

xiv. कार्पोरेशन द्वारा शेयर, सिक्यूरिटी, डिबेन्चर एवं अन्य निवेशसे संबंधित कार्य नहीं किया जाता है। अतः पैरा 4 (xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xv. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कार्पोरेशन द्वारा संबद्ध तथा सहायक कंपनियों को बैंक से अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिए कोई प्रत्याभूतिनहीं दी गई है ।

xvi. कार्पोरेशन द्वारा ऑडिट किए गए वर्ष के दौरान टर्म लोन लिया गया है । हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार समग्र रूप से टर्म लोन का उपयोग उसी कार्य के लिए किया गया है, जिसके लिए ऋण लिया गया था

xvii. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण एवं जानकारी के अनुसार तथा कार्पोरेशन के तुलन पत्रक का समग्र रूप से परीक्षण करने के बादयह ज्ञात होता है कि कार्पोरेशन द्वारा अल्प अवधि के लिए एकत्रित राशि को दीर्घ अवधि के निवेश में नहीं लगाया गया है । दीर्घ अवधि निधि का अल्प अवधि की निधि के लिए उपयोग नहीं किया गया है । इसी प्रकार अल्प अवधि निधि का दीर्घ अवधि की निधि के लिए उपयोग नहीं किया गया है ।

# लेखो पर वैधानिक अंकेक्षक की टीप एवं प्रबंधन के उत्तर

| क्रमांक | लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | ए. वे इस दृष्टि से/इस सीमा तक अपूर्ण हुए यद्यपि कारपोरेशन द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों के अभिलेख रखे गए हैं, तथापि कि उनकी पहचान संख्या/मात्रा के विवरण का रखरखाव नहीं किया गया है ।<br><br>बी. प्रबंधकीय सूचना अनुसार वर्ष के दौरान स्थिर आस्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है ।<br>सी. वर्ष के दौरान निगम द्वारा स्थिर आस्तियों का कोई बड़ा निपटान नहीं किया गया है । | ए. कारपोरेशन द्वारा स्थायी परिसम्पत्तियों से संबंधित रजिस्टरका रखरखाव किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पर प्रत्येक परिसम्पत्ति का पूर्ण विवरण एवं प्रविष्टि रजिस्टर में अंकित है एवं परिसम्पत्तियों के संख्यात्मक विवरण शीघ्र ही पूर्ण कर लिये जावेंगे ।<br>बी. आंतरिक लेखा परीक्षक दल द्वारा निश्चत अलग अलग अवधि में स्थायी परिसम्पत्तियां जो निगम के उपयोग में है का परीक्षण कर लिया जाता है । |
| 2. | हमारे विचार से कार्पोरेशन में उसके व्यवसाय के आकार व प्रकार के अनुरूप आंतरिक अंकेक्षण की व्यवस्था है । अंकेक्षण का कार्यक्षेत्रव विषयक्षेत्र और बढ़ाया जाना चाहिए। | कार्पोरेशन में आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक अंकेक्षण कार्य हेतु एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्म तथा विभागीय दल बनाया गया है जो प्रति तिमाही आंतरिक अंकेक्षण का कार्य करता है एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है तथापि व्यवसाय के आकार व प्रकार के अनुरूप इस कार्य का विषय क्षेत्र पुनरीक्षित कर अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार बढ़ा दिया गया है । |
| 3. | प्रोविडेन्ट फण्ड देयताएं, आयकर, विक्रयकर तथा अन्य वैधानिक देयताएं, उचित अधिकारियों के पास समय पर जमा की गई है, किन्तु कुछ प्रकरणों में मात्र विलंब हुआ है। यह भी है कि केन्द्र शासन द्वारा अधिनियम की धारा 441ए के अंतर्गत अभी तक उपकार की राशि निर्धारित नहीं की है, हम यह टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है कि कार्पोरेशन द्वारा उपकार की देयता की राशि जमा करने में नियमितता बरती है अथवा नहीं । | बिलम्व का केवल एक ही दृष्टान्त है । शासकीय अवकाश के कारण बिलम्व हुआ तथापि भविष्य में इस प्रकार की पुर्नवृत्ति न हो इसका ध्यान रखा जावेगा । |

**म.प्र.पुलिस हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड**
**(म.प्र.शासन का उपक्रम)**
**(पूर्व नाम म.प्र.पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमि.)**
**भदभदा रोड, भोपाल–462003**

## //प्रति पत्र//

मैं/हम........................................................................................................................ जो..... ..............................................................................................................................के हैं, ऊपर लिखित कम्पनी के सदस्य/सदस्यगण होने के नाते.......................................... को जो के हैं.................................................................................................................... को या उनके अनुपस्थित होने पर.....................................................को अपना/हमारा प्रति पुरूष अपनी/हमारी ओर से 34वीं वार्षिक सामान्य बैठक जो दिनांक 28.09.2015 को 4.00 बजे उसका अस्थगन हो, तो के लिये मतदान करने हेतु नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

आज दिनांक..............................माह............................2015 को हस्ताक्षरित.......................

| |
|---|
| 1 रूपये का रसीदी टिकट |

# म.प्र.पुलिस हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड
## (म.प्र.शासन का उपक्रम)
## (पूर्व नाम म.प्र.पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमि.)
## भदभदा रोड, भोपाल–462003

**वेब–साईटः www.mpphc.net**
**फोन एवं फैक्सः 0755–2443771**

क्रमांक–मप्रपुहाका / सीएओ / 237 / 2017 भोपाल, दिनांक– 14.02.2017

प्रति,

समस्त अंशधारक,
म.प्र.पुलिस हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट
कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल

विषयः– स्थगित 34वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना।

निवेदन है कि म.प्र.पुलिस हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल की स्थगित 34वीं वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक– 21.02.2017 को 12:15 बजे अपरान्ह कार्यालय भवन भदभदा रोड, भोपाल में निम्नलिखित कार्य संपादन के लिए आयोजित की गई है:–

**"31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के अंकेक्षित लेखे, संचालकगणों के प्रतिवेदन की ग्राह्यता"**

अनुरोध है कि उक्त बैठक में कृपया निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित होने का कष्ट करें।

सहपत्रः– 1. संचालक मण्डल का प्रतिवेदन।
2. वर्ष 2014–15 के लेखे।
3. एक परिपत्र।

हस्ता
(संजय राणा)
प्रबंध संचालक
म.प्र.पुलिस हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट
कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल

नोटः–

1. सदस्य जिन्हें उपस्थित रहने एवं मतदान करने की पात्रता है, को अपने स्थान पर उपस्थित रहने एवं मतदान करने के लिए एक प्रतिपुरूष नियुक्त करने की पात्रता है, तथा प्रतिपुरूष का कार्पोरेशन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

2. सहपत्र संलग्न है।

# The Companies Act 2013

## Consent by Shareholder for Shorter Notice

## [Pursuant to Section 101(1)]

To,

Board of Directors,
Madhya Pradesh Police Housing &
Infrastructure Development Corporation Limited
Bhadbhada Road, Bhopal.

I, ............................................ resident of ............................................

Holding 1 (One) Equity Shares of Rs. 1,000/- in the Corporation, in my own name, hereby give Consent, pursuant to Section 101(1) of the Companies 2013, to hold 34th Adjourned Annual General Meeting on 21.02.2017 on Shorter notice.

( )

Shareholder

Dated:

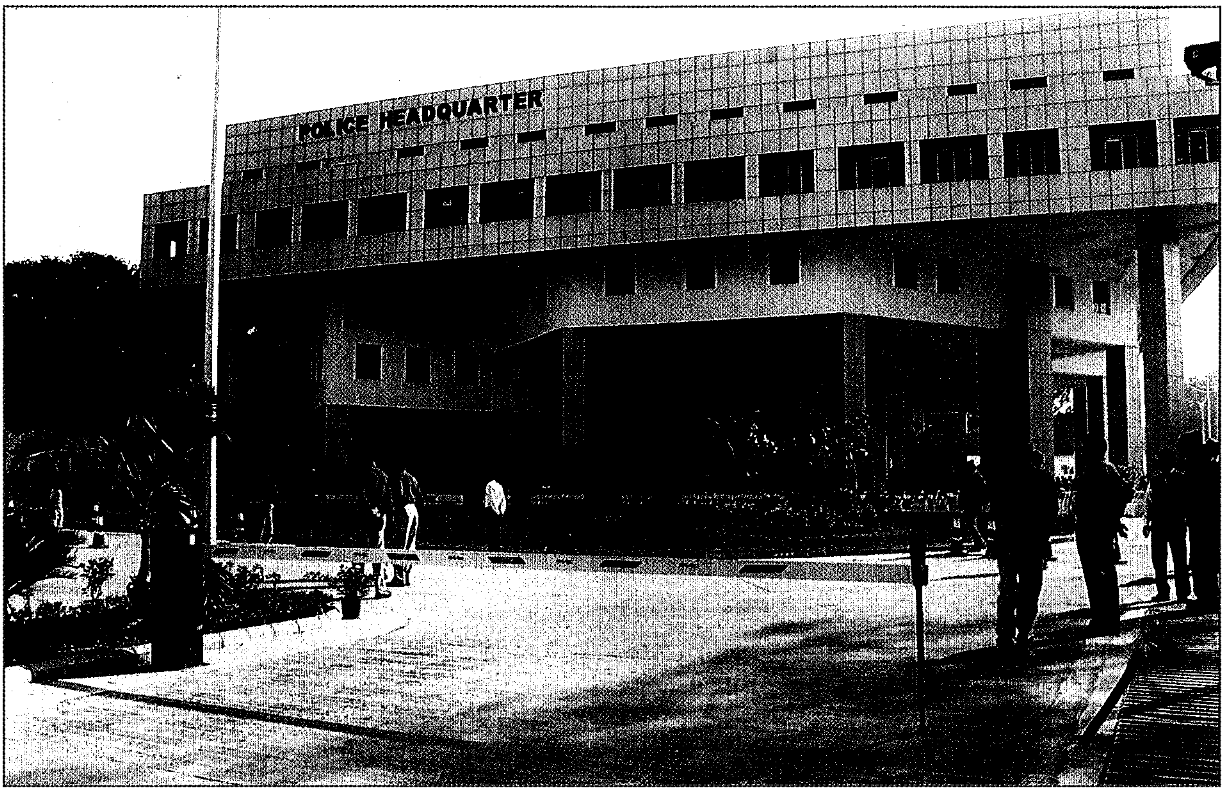


नवीन पुलिस मुख्यालय, जहांगीराबाद, भोपाल

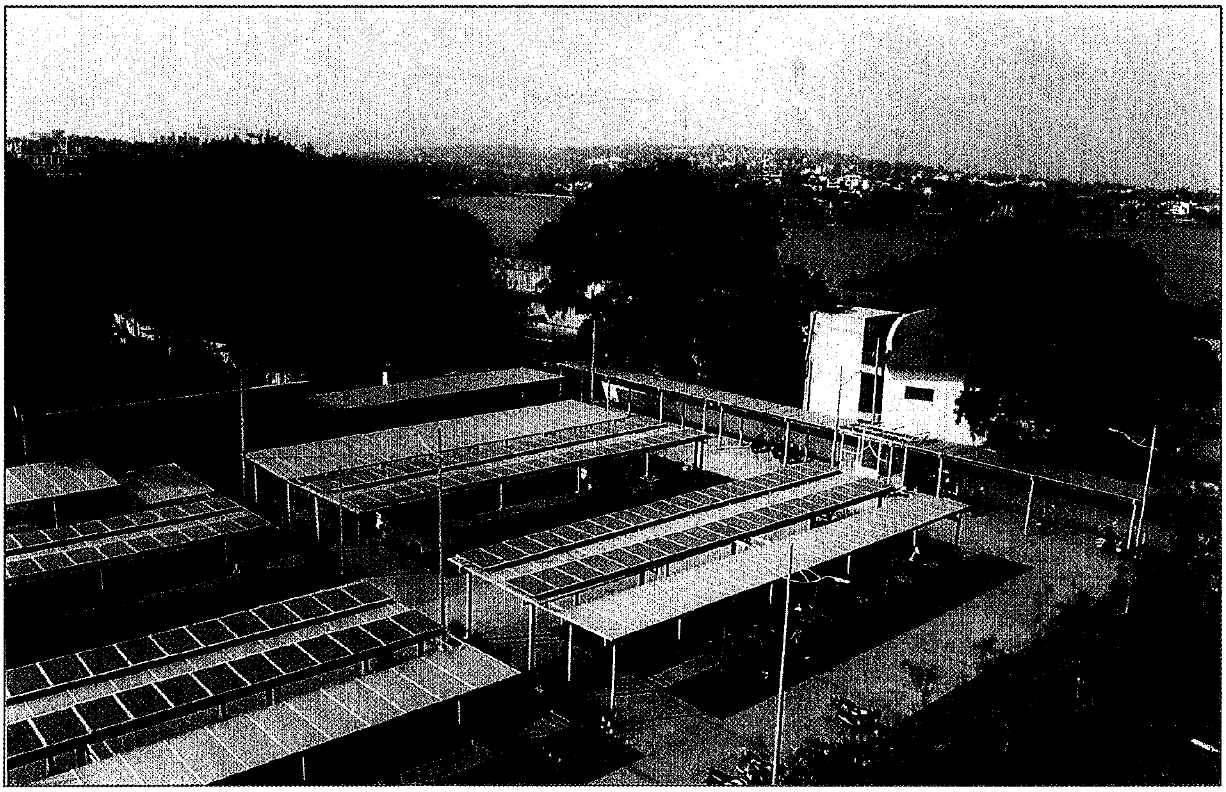

न्यू इंटीग्रेटेड काम्पलेक्स, पी.एच.क्यू. भवन, भोपाल की पार्किंग में स्थापित सोलर पैनल

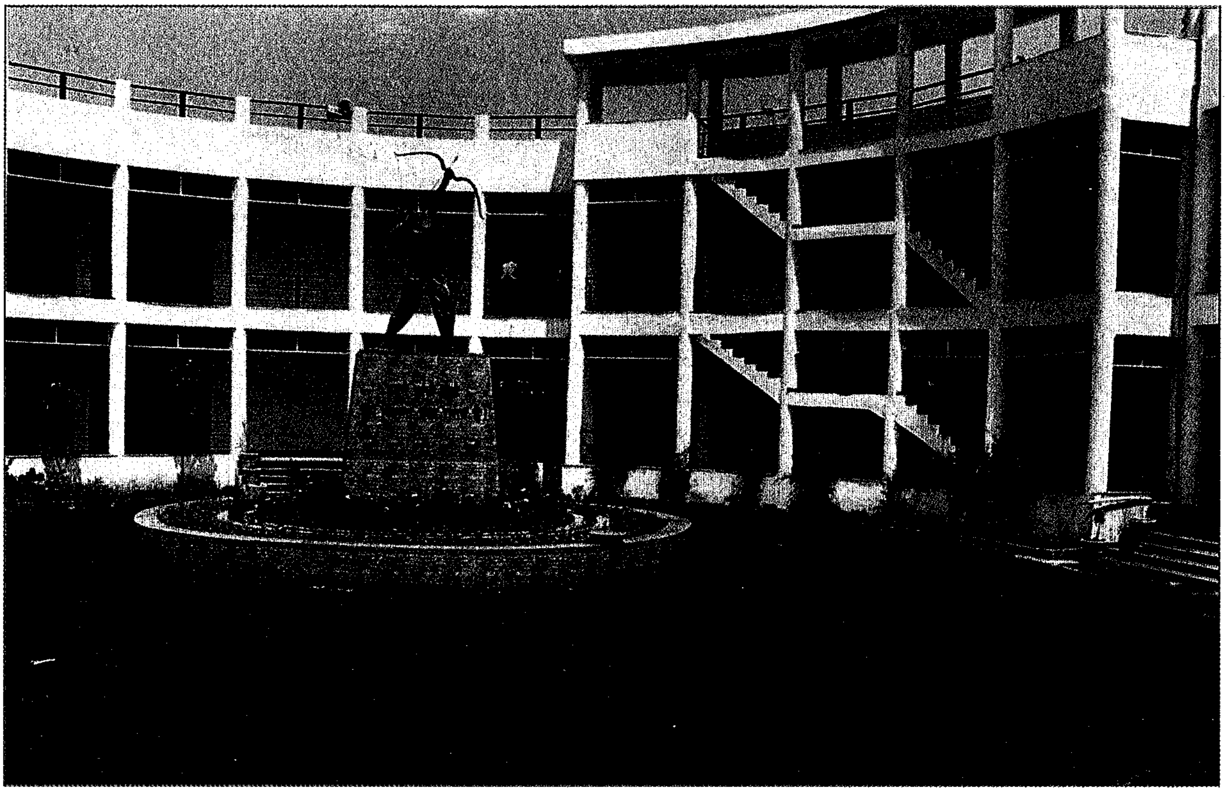

पुलिस एकाडमी भवन भौरी, भोपाल

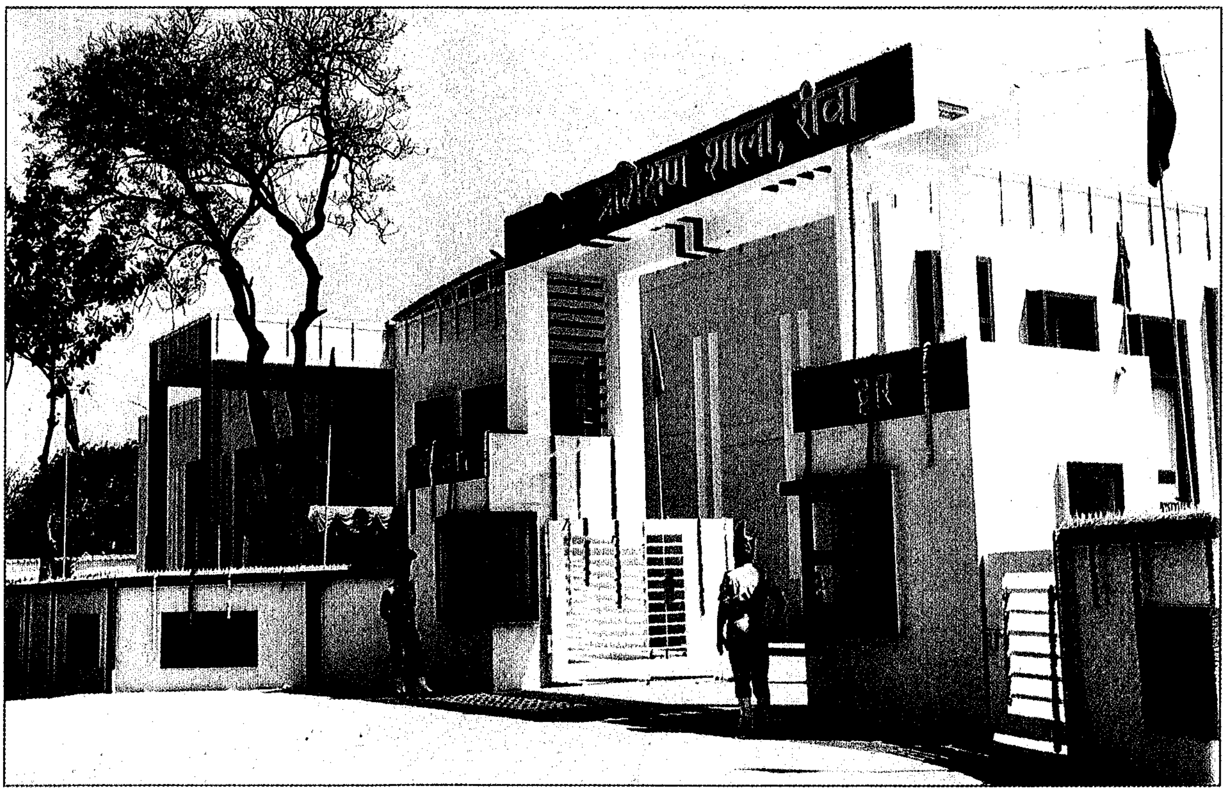


प्रशासकीय भवन, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, रीवा

24+72 आवास गृह गोल लाइन, जहांगीराबाद, भोपाल

अराजपत्रित अधिकारी आवास गृह, भोपाल

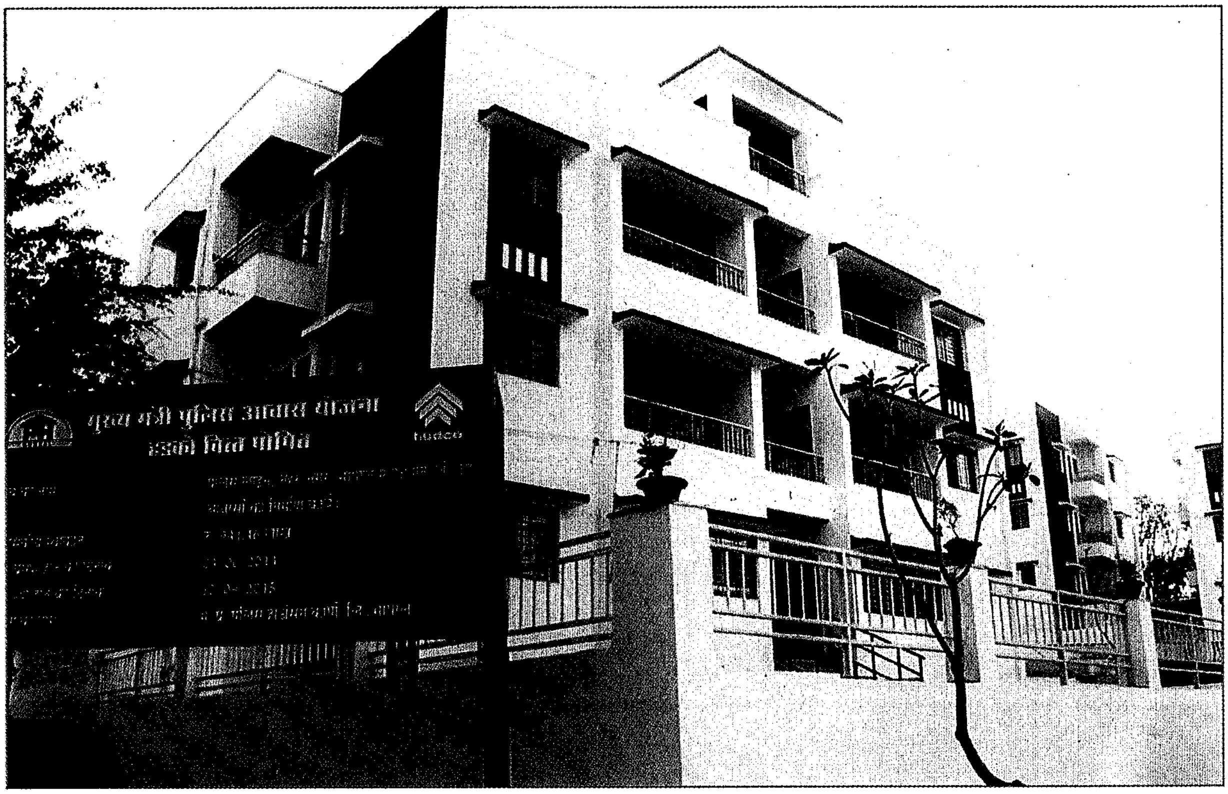


**78, अराजपत्रित अधिकारी आवास गृह, पुलिस लाईन, नेहरू नगर, भोपाल**

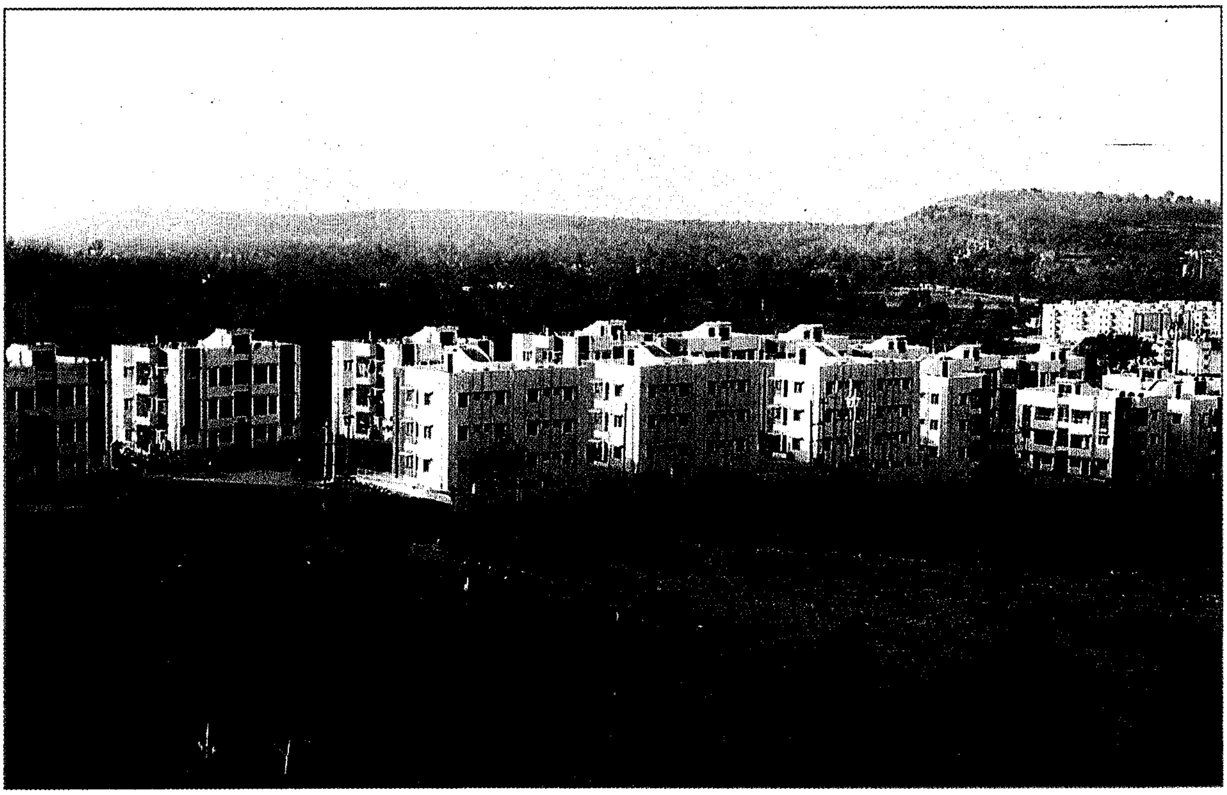

**208, कांस्टेबल/हेड कांस्टेबल आवास गृह, डी.आर.पी. लाईन, भोपाल**